

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 13 मई, 2024 / 23 वैशाख, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 25th April, 2024

No. HHC/Admn.6(23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to

declare Senior Civil Judge-*cum*-CJM, Una as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge-*cum*-JMFC, Court No. IV, Una and also the Controlling Officer for the purpose of Salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court till the posting/joining of new Presiding Officer in said Court..

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated, the 25th April, 2024

No. HHC/ GAZ/14-220/96-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 02 days' commuted leave for 18-03-2024 and 19-03-2024 in favour of Sh. Bhupesh Sharma, District and Sessions Judge, Shimla.

Certified that Sh. Bhupesh Sharma had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Bhupesh Sharma would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated, the 26th April, 2024

No. HHC/GAZ/14-393/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 05 days earned leave *w.e.f.* 27-04-2024 to 01-05-2024 in favour of Sh. Yudh Veer Singh, Civil Judge-*cum*-JMFC (II), Sarkaghat, H.P.

Certified that Sh. Yudh Veer Singh is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Yudh Veer Singh would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMFC (II), Sarkaghat, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 25th April, 2024

No. HHC/GAZ/14-386/2018.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 03 days earned leave *w.e.f.* 05-12-2023 to 07-12-2023, 01 day's earned leave for 27-01-2024 and further 03 days commuted leave *w.e.f.* 28-01-2024 to 30-01-2024 in favour of Ms. Isha Agarwal, the then Civil Judge-*cum*-JMFC, Court No. IV, Una presently posted as Civil Judge-*cum*-JMFC, Nalagarh.

Certified that Ms. Isha Agarwal had joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Isha Agarwal would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC, Court No. IV, Una, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/- Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated, the 30th April, 2024

No. HHC/Admn.E.5(13)2023.—Sh. Uttam Chand, Chief Administrative Officer of the Office of District and Sessions Judge, Chamba, H.P., shall stand retired from service with effect from 30-04-2024 (AN) on attaining the age of superannuation as per the provision of Rule 74 of CCS (Pension) Rules, 1972.

By order,	
Sd/- Registrar General.	

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated, the 27th April, 2024

No. HHC/GAZ/14-280/2005.—The result of 18th Departmental Examination of the cadre of District Judges/Additional District Judges (Members of Himachal Pradesh Judicial Service) held in January, 2024 is hereby published as under:—

Sl.	Name of the	Roll	Criminal	Civil Law	Revenue	Constitution	High	Language
No.	Officer	No.	Law (100	(100	Law (100	of India (100	Court	(Hindi in
			marks)	marks)	marks)	marks)	Rules &	Devnagri
							Orders	Script)
							and	(50
							Accounts	marks)
							(100	
							marks)	
1.	Sh. Praveen	2501	53 (F)	53 (F)	63 (P)	63 (P)	51 (F)	27 (P)
	Garg							

This is for information of all concerned as required under Rule 2 read with Rule 18 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004 and Regulation 12(iii) of the Himachal Pradesh Judicial Service (Departmental Examination for direct recruit to the cadre of District Judges/Additional District Judges) Regulations, 2005.

By order, Sd/-Registrar General.

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 1st February, 2024

No. 1-33/2016-5486.—*Ex-post facto* sanction is hereby accorded to the grant of following kinds of leaves in favour of **Shri Inder Singh Thakur**, **Superintendent Grade-I** of this department with permission to avail prefix/suffix Sundays and Gazetted holidays which fell on 26-11-2023, 27-11-2023, 24-12-2023 & 25-12-2023:—

- 1. 20 days earned leave w.e.f. 28th Nov. 2023 to 17th Dec. 2023.
- 2. 6(12) medical leave on commuted basis w.e.f. 18th to 23rd Dec. 2023

Certified that Shri Inder Singh Thakur, Superintendent Grade-I would have continued to officiate, but for his proceeding on 20 days earned leave and 6(12) days medical leave on commuted basis and that, period of leave will count for earning annual increment.

Certified that Shri Inder Singh Thakur,, Superintendent Grade-I was likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/-Deputy Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 1st February, 2024

No. 1-3/96-IV-5470.— Ex-post facto sanction is hereby accorded to the grant of 02(04) days medical leave on commuted basis on 9th & 10th January, 2024 in favour of Shri Vir Sain Singh, Superintendent Grade-I of this department.

Certified that **Shri Vir Sain Singh, Superintendent Grade-I** would have continued to officiate, but for his proceeding on 02(04) days medical leave on commuted basis and that, this period of leave will count for earning annual increment.

Certified that **Shri Vir Sain Singh, Superintendent Grade-I** was likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/-Deputy Advocate General. Himachal Pradesh, Shimla.

ADVOCATE GENERAL, DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 26th December, 2023

No. 1-32/2023-69576.—Sanction is hereby accorded to the grant of 09 days earned leave w.e.f. 22nd to 30th December, 2023 in favour of Sh. Prashant Sen, Deputy Advocate General.

Certified that **Sh. Prashant Sen, Deputy Advocate General** would have continued to officiate but for his proceeding on 09 days earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that **Sh. Prashant Sen, Deputy Advocate General** was likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeds on leave.

Sd/-

(RAKSH PAUL SINGH), Deputy Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL STATE OF H.P., SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 10th January, 2024

No. 1-8-99-II-2781.—Ex-post facto sanction is hereby accorded to the grant of 03 (06) days medical leave on commuted basis w.e.f. 26th to 28th December,2023 with permission to avail prefix i.e. Sunday and gazetted holiday which fell on 24th and 25th December,2023 in favour of Shri Hari Prakash, Private Secretary of this department.

Certified that **Shri Hari Prakash**, **Private Secretary** would have continued to officiate, but for his proceeding on three (06) days medical leave on commuted basis and that this period of leave will count for earning annual increment.

Certified that **Shri Hari Prakash**, **Private Secretary** is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeded on leave.

(Raksh Paul Singh)

Sd/-

(RAKSH PAUL SINGH), Deputy Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

ADVOCATE GENERAL, DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 11th December, 2023

No. 1-41/2023-65860.— Sanction is hereby accorded to the grant of 02 days earned leave for 07th and 08th December, 2022 in favour of Sh. Arsh Rattan, Deputy Advocate General.

Certified that **Sh. Arsh Rattan, Deputy Advocate General** would have continued to officiate but for his proceeding on 02 days earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that **Sh. Arsh Rattan, Deputy Advocate General** was likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeds on leave.

Sd/-

(RAKSH PAUL SINGH), Deputy Advocate General, Himachal Pradesh, Shimla.

ब अदालत श्री मयंक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

सुनीता देवी पुत्री रामभज, निवासी ग्राम काण्डो, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया सुनीता देवी पुत्री रामभज, निवासी ग्राम काण्डो, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०) का एक आवेदन—पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र एच०एफ०डब्ल्यू०—एन० / एसटी / बी० एण्ड डी० / डिलेय केसिस / 2023—12991, दिनांक 16—03—2024 के द्वारा आवेदन पत्र प्रार्थिया सुनीता देवी पुत्री रामभज, निवासी ग्राम काण्डो, तहसील कमरऊ से मय अपना व दो गवाहों का ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 सचिव ग्राम पंचायत दुगाना, परिवार नकल ग्राम पंचायत दुगाना व राजपुर, प्रधान ग्राम पंचायत दुगाना द्वारा जारी प्रमाण—पत्र आधार कार्ड सिहत इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसका अपना नाम सुनीता देवी एवं जन्म तिथि 01—07—1979 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत काण्डो दुगाना के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। सुनीता देवी की माता का नाम श्रीमती चानणो देवी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13—05—2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करवा सकता है निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना—पत्र सुनीता देवी पुत्री रामभज, निवासी ग्राम काण्डो, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 12-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र०)।

ब अदालत श्री मयंक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

निर्मला पुत्री सुन्दर सिंह, निवासी ग्राम व डा० कमरऊ, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया निर्मला पुत्री सुन्दर सिंह, निवासी ग्राम व डा० कमरऊ, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०) का एक आवेदन—पत्र द्वारा मुख्य रिजस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र एच०एफ०डब्ल्यू०—एन० / एसटी / बी० एण्ड डी० / डिलेय केसिस / 2023—13277, दिनांक 21—03—2024 के द्वारा आवेदन पत्र प्रार्थिया निर्मला पुत्री सुन्दर सिंह, निवासी ग्राम व डा० कमरऊ, तहसील कमरऊ से मय अपना व दो गवाहों का ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 ग्राम पंचायत कमरऊ, परिवार नकल ग्राम पंचायत कमरऊ व दुगाना, प्रधान ग्राम पंचायत कमरऊ द्वारा जारी प्रमाण—पत्र आधार कार्ड सिहत इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया अपना नाम निर्मला एवं जन्म तिथि 01—07—1979 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत कमरऊ के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। निर्मला की माता का नाम श्रीमती जैनो देवी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13—05—2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करवा सकता है निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना—पत्र निर्मला पुत्री सुन्दर सिंह, निवासी ग्राम व डा० कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 10-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मयंक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री देविन्द्र पुत्र गंगा राम, निवासी ग्राम नांव बाड़वा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री देविन्द्र पुत्र गंगा राम, निवासी ग्राम नांव बाड़वा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०) का एक आवेदन—पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र एच०एफ०डब्ल्यू०—एन० / एसटी / बी० एण्ड डी० / डिलेय केसिस / 2023—12994, दिनांक 16—03—2024 के द्वारा आवेदन पत्र प्रार्थी श्री देविन्द्र पुत्र गंगा राम, निवासी ग्राम नांव बाड़वा, तहसील कमरऊ से मय अपना व दो गवाहों का ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 ग्राम पंचायत सतौन, परिवार नकल ग्राम पंचायत सतौन, प्रधान ग्राम पंचायत सतौन द्वारा जारी प्रमाण—पत्र आधार कार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह

किया गया है कि उसका नाम देविन्द्र एवं जन्म तिथि 01–07–1982 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत सतौन के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। देविन्द्र की माता का नाम श्रीमती नारायणी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13—05—2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करवा सकता है निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपित प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थी देविन्द्र पुत्र गंगा राम, निवासी ग्राम नांव बाड़वा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 10-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र०)।

ब अदालत श्री मयंक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

नीमा देवी पुत्री दौलत राम, निवासी ग्राम दुगाना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थिया नीमा देवी पुत्री दौलत राम, निवासी ग्राम दुगाना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना—पत्र मय राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी, मौजा काण्डो दुगाना, परिवार नकल ग्राम पंचायत काण्डो दुगाना, आधार कार्ड, निर्वाचन पत्र, बैंक प्रति, आयकर प्रमाण—पत्र एवं रिपोर्ट प्रधान ग्रामा पंचायत दुगाना सहित इस कार्यायल में प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि उसका अपना नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दुगाना में निरमला पुत्री दौलत राज दर्ज हो गया है जोिक गलती से दर्ज हुआ है। जिसे प्रार्थिया अब दुरुस्त करवाना चाहती है। प्रार्थिया अपना जोिक मुताबिक उपरोक्त दस्तावेजों अनुसार राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दुगाना में निरमला पुत्री दौलत राम की जगह सही नाम निमा देवी पुत्री दौलत राम दुरुस्त करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13—05—2024 या इससे पूर्व अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर एतराज दर्ज करा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।